मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग, मंत्रालय

क्रमांक एफ–2–10/2012/सात/4–ए भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014

प्रति

प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
संभागीय आयुक्त (समस्त)
कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय : **लोक सेवाओं के प्रदाय के गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी कियान्वयन के लिए कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर के पदों की पूर्ति के संबंध में।**

संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 04 मार्च 2014. एवं परिपत्र दिनांक 11 सितम्बर 2014।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा स्वीकृत पदों की पूर्ति के लिए विभागीय परिपत्र दिनांक 11 सितम्बर 2014 में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 447/2011/लो.से.प्र./61 दिनांक 14/07/2011 में कार्यालय सहायक के पद के लिए निर्धारित शर्तों / प्रक्रियाओं के अतिरिक्त उक्त पदों की पूर्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी भर्ती के पदो की पूर्ति हेतु निर्धारित रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाए।

2/ दिनांक 04 मार्च 2014 को स्वीकृत उक्त पदों पर नियुक्ति संविदा आधार पर की जाना है। अतः उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के संबंध में डिस्ट्रिक्ट ई–गर्वनेंस सोसायटी एवं नियुक्त कर्मचारी के मध्य अनुबंध संपादित कराया जाए।

(अरूण तिवारी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक एफ–2–10/2012/सात/4–ए भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
4. विशेष सहायक, मान. राजस्व मंत्री जी, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग